केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :47 अंक 282 गुरूवार 7 मई 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगान जैसा दर्जा

नई दिल्ली (आभा)। पश्चिम बंगाल और असम में शानदार जीत के बाद, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रगान वंदे मातरम को जन गण मन के समान दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी – इन चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश – के चुनाव परिणामों के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया। मंत्रियों ने पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत बताते हुए प्रधानमंत्री को बधाई भी दी। अधिकारियों के अनुसार, सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संबंधी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है ताकि वंदे मातरम को भी उसी कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाया जा सके जो वर्तमान में राष्ट्रगान को संरक्षण प्रदान करता है। इसके लागू होने के बाद, वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी प्रकार का अनादर या बाधा डालना संज्ञेय अपराध माना जाएगा।राष्ट्रीय ध्वज, संविधान या राष्ट्रगान के अपमान से जुड़े मामलों में दंड का प्रावधान है, जिसमें कारावास, जुर्माना या दोनों शामिल हैं। प्रस्तावित संशोधन वंदे मातरम पर भी इन प्रावधानों को लागू करेगा, जिसका अर्थ है कि उल्लंघन करने पर भी इसी तरह के कानूनी परिणाम भुगतन होंगे।

अमेरिका–ईरान युद्ध थमने के आसार

वाशिंगटन (आभा)। अमेरिका और ईरान इस सदी की सबसे महत्वपूर्ण डिप्लोमैटिक डील के बेहद करीब पहुंच गए हैं। एक्सियोस ने अमेरिकी अधिकारियों और मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी दी है कि वाइट हाउस ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने और व्यापक परमाणु वार्ताओं के लिए सिंगल पेज समझौता ज्ञापन पर सहमति के अंतिम चरण में है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित ढांचे में 14 सूत्रीय एक पृष्ठ का डब्ल शामिल है, जिसका उद्देश्य तत्काल युद्धविराम लागू करना और अगले 30 दिनों में पूर्ण समझौते पर पहुंचना है। इसके तहत ईरान अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम में अल्पकालिक विराम लगाने को तैयार है। बदले में अमेरिका ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने और अरबों डॉलर की ईरानी संपत्तियों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। दोनों देश होर्मुज में तनाव कम करने और समुद्री जल मार्ग संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए भी सहयोग करेंगे।

डीएम ने किया विकास कार्यों का औचक निरीक्षण

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती।, बुधवार को जिलाधिकारी श्रीमती कृत्तिका ज्योत्स्ना ने इफको किसान सेवा केन्द्र, गोटवा स्थित रिंग रोड निर्माण कार्य की प्रगति , 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का सुधार एवं विकास कार्य, बृहद को संरक्षण केंद्र कोईलपुरा,भारत इजराइल आम उत्कृष्टता केंद्र,कृषि विज्ञान केंद्र बंजरिया का औचक निरीक्षण किया।

किसान सेवा केन्द्र में उर्वरक स्टॉक ,कृषि रसायन रजिस्टर, फर्टिलाइजर बिक्री का अवलोकन कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया जिलाधिकारी ने कहा कि उर्वरक प्राप्त करने वाले किसानों का फॉर्म रजिस्ट्री अवश्य हो। उपस्थित केंद्र प्रभारी निखिल द्विवेदी,इफको क्षेत्राधिकारी शुभम विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि कभी कभी पॉइंट ऑफ सेल मशीन में उर्वरक बिक्री करते समय सर्वर की समस्या होती है। निरीक्षण के दौरान गोटवा स्थित रिंग रोड निर्माण कार्य के प्रगति की जानकारी प्राप्त किया है निरीक्षण के दौरान प्रोजेक्ट डायरेक्टर नुशरत रवान,प्रोजेक्ट इंजीनियर रोहित श्रीवास्तव प्रोजेक्ट मैनेजर विनय द्विवेदी को निर्देशित किया गया कि सुरक्षा के दृष्टिगत सभी मनको को पूर्ण किया जाए।

84 कोसी परिक्रमा मार्ग का सुधार एवं विकास कार्य निरीक्षण के दौरान तैयारी पूर्ण न होने पर जिलाधिकारी द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी।

उल्लास के साथ मनाया गया बस्ती जनपद का 162 वां स्थापना दिवस

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बुधवार को वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम प्रकाश शर्मा के संयोजन में बस्ती जनपद का 162 वां स्थापना दिवस संगोष्ठी के साथ मनाया गया।

मुख्य अतिथि वरिष्ठ चिकित्सक, साहित्यकार डा. वी.के. वर्मा ने कहा कि बस्ती सन् 1801 में तहसील मुख्यालय बना और फिर 6 मई 1865 को जनपद मुख्यालय बनाया गया। इसके बाद सन् 1988 में उत्तरी हिस्से को काटकर सिद्धार्थनगर जिला बनाया गया जिसे पहले डुमरियागंज नाम से जाना जाता था, इस जिले में बांसी और नौगढ़ भी आते हैं, यहां कपिलवस्तु भी हैं, जहां बुद्ध ने अपने जीवन के शुरुआती समय व्यतीत किये थे, यहां से 10 किलोमीटर पूर्व लुंबनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। यही नहीं बस्ती का एक और विभाजन 1997 में संतकबीर नगर के रूप मं हुआ। कहा कि मण्डल स्तर पर बस्ती स्वयं में कई संस्कृतियों को समेटे हुये है।

वरिष्ठ साहित्यकार राम नरेश सिंह मंजुल ने बस्ती के इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डाला। कहा कि कभी 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने कहा था कि बस्ती को बस्ती कहूं तो काको कहूं उजाड़' आज यही बस्ती निरन्तर विकास की ओर है। कहा कि बस्ती का इतिहास बहुत समृद्ध है और मखौड़ा, छावनी शहीद स्थली के साथ ही अनेक पौराणिक स्थल हैं जो इसकी पहचान है। कहा कि सन् 1997 में पूर्वी हिस्से को काटकर संतकबीरनगर जिला बनाया जिसे खलीलाबाद के नाम से भी जाना जाता है, यहां महात्मा कबीर ने प्राण त्यागे थे। इसके बाद जुलाई 1997 में बस्ती मंडल मुख्यालय बना दिया गया। फिलहाल इस मंडल में बस्ती, संतकबीरनगर और सिद्धार्थनगर जनपद आते हैं।

कार्यक्रम संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम प्रकाश शर्मा ने कहा कि बस्ती का इतिहास जहां समृद्ध है वहीं वर्तमान प्रगति की ओर है। प्राचीन काल में बस्ती को भगवान राम के गुरु वशिष्ठ ऋषि के नाम पर वाशिष्ठी के नाम से जाना जाता रहा। कहा जाता है कि उनका यहां आश्रम था, अंग्रेजों के जमाने में जब यह जिला बना तो निर्जन, वन और झाड़ियों से घिरा था, लोगों के प्रयास से यह धीरे–धीरे बसने योग्य बन गया। अध्यक्षता करते हुये बटुकनाथ शुक्ल ने कहा कि नयी पीढी अपने इतिहास को जानते रहने की जरूरत है जिसे नयी पीढी अपनी जड़ों से जुड़े।

बस्ती जनपद के 161 वां स्थापना दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में त्रिभुवन प्रसाद वर्मा, बी.के. मिश्र, डा. वाहिद सिद्दीकी, अजीत श्रीवास्तव, डा. राजेन्द्र सिंह राही, आचार्य छोटेलाल वर्मा, अर्चना श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, राजेन्द्र प्रसाद अरनवाल, संजीव पाण्डेय, सामईन फारूकी आदि ने बस्ती के इतिहास पर रोशनी डाली।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से गणेश प्रसाद, दीनानाथ यादव, अजमत अली सिद्दीकी, कृष्णचन्द्र पाण्डेय, नेबूलाल, लालजी पाण्डेय, मेहीलाल यादव के साथ ही अनेक लोग उपस्थित रहे।

बस्ती के स्थापना दिवस पर सम्मानित हुईं विभूतियां

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती।नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ द्वारा आयोजित "बस्ती स्थापना दिवस एवं द्वितीय बेस्ट ऑफ बस्ती अवार्ड्स" समारोह का आयोजन राजकीय इण्टर कॉलेज, बस्ती के सभागार में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षाविदों, चिकित्सकों, समाजसेवियों, युवा उद्यमियों एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का उद्देश्य बस्ती जनपद की प्रतिभाओं, समाज के प्रेरणास्रोत व्यक्तियों तथा जिले के विकास में योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करना था।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस उपमहानिरीक्षक संजीव त्यागी रहे। विशिष्ट अतिथियों के रूप में विधान परिषद सदस्य सुभाष यदुवंश, विधायक अजय सिंह, पूर्व विधायक संजय जायसवाल, पूर्व विधायक दयाराम चौधरी, यशकांत सिंह, अंकुर वर्मा सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। समारोह में "बेस्ट ऑफ बस्ती अवार्ड" के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉ. मोहम्मद इकबाल, बसंत चौधरी, डॉ. वी. के. वर्मा, डॉ. अजय चौधरी एवं डॉ. अनिल यादव को सम्मानित किया गया। सामाजिक कार्य के लिए अनिल त्रिपाठी, राम प्रताप सिंह एवं बबीता गौतम को सम्मान मिला। व्यवसाय क्षेत्र में कमल सेन, प्रेम अग्रवाल, सिद्धार्थ मिश्रा एवं आदित्य श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अजय सिंह गौतम को सम्मान प्रदान किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में सत्य प्रकाश सिंह, राजेश चौधरी, प्रियंका सिंह एवं शैलेश चौधरी को सम्मानित किया गया। साहित्य, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कमला पति पांडेय, राम नरेश सिंह "मंजुल" एवं कात्यायनी पाण्डेय को सम्मान प्राप्त हुआ। खेल क्षेत्र में अनिल यादव, राम सिंह एवं विनीत गुप्ता को सम्मानित किया गया। युवा प्रेरणा श्रेणी में अमन शुक्ला एवं प्रखर शुक्ला को सम्मान दिया गया।

कृषि क्षेत्र में पुष्पा गौतम को सम्मानित किया गया, जबकि युवा उद्यमी श्रेणी में ऋतुराज सिंह एवं सौरभ दुबे को सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर भोजपुरी गायक सौरभ सिंह रॉयल द्वारा बस्ती को समर्पित विशेष गीत "बस्ती वाले हैं हम" का लोकार्पण भी अतिथियों के करकमलों द्वारा किया गया।

कार्यक्रम के अंत में नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ के अध्यक्ष भावेष पाण्डेय ने सभी अतिथियों, सम्मानित व्यक्तियों, प्रतिभागियों, सहयोगियों एवं उपस्थित जनसमूह के प्रति आभार व्यक्त किया। संचालन कुलदीप कलश और राम प्रताप सिंह ने किया। संयोजन काजी फरजान और तेज प्रकाश शुक्ल ने किया।

शिक्षक संघ के अधिवेशन में दुर्गेश यादव अध्यक्ष, बब्बन पाण्डेय मंत्री निर्वाचित

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई सल्टौआ का त्रैवार्षिक अधिवेशन और सेवानिवृत शिक्षकों का सम्मान समारोह बुधवार को ब्लॉक सभागार में सम्पन्न हुआ। अधिवेशन में संगठन की नई कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ। इस दौरान सर्वसम्मति से दुर्गेश यादव को अध्यक्ष तथा बब्बन पाण्डेय को मंत्री पद के लिए निर्वाचित किया गया। साथ ही अन्य पदों पर भी शिक्षकों का मनोनयन किया गया। अधिवेशन में बड़ी संख्या में शिक्षकों की भागीदारी रही। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न हुई। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शिक्षकों ने फूल–मालाओं से स्वागत किया और उनके नेतृत्व में संगठन के और अधिक सशक्त होने की उम्मीद जताई। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि दुष्यंत विक्रम सिंह द्वारा सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई।

–शिक्षक से ही समाज की प्रगति सुनिश्चित– दुष्यन्त सिंह
––सेवा निवृत्त शिक्षकों का हुआ सम्मान

अधिवेशन संपन्न कराने हेतु पर्यवेक्षक के रूप में लगे विजय यादव और चुनाव अधिकारी रवि सिंह के द्वारा पूरी पारदर्शिता से चुनाव को संपन्न कराया गया किसी भी पद पर एक से अधिक प्रत्याशी न होने के कारण सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन का कार्य पूर्ण हुआ। दुर्गेश यादव को अध्यक्ष, विवेक सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बब्बन पाण्डेय को मंत्री, चंद्रशेखर पाण्डेय को संयुक्त मन्त्री, भास्कर दुबे, दीपचंद उमाशंकर पाण्डेय, अविनाश दुबे, वीरेंद्र शर्मा, सुनील कुमार, धर्मराज यादव,सुशील गहलोत, विजय भारती, नवीन सिंह, मोहम्मद असलम,रीना कनौजिया को उपाध्यक्ष, विनय सिंह, सुरेंद्र यादव, तरुण कुमार, विनय शुक्ला, नितिन कुमार, विनय पाण्डेय, गोविंद, जितेंद्र मिश्र, सोहनलाल को संगठन मंत्री, राजीव सिंह, रत्नेश्वर नारायण, प्रसून श्रीवास्तव, आसाराम, धर्मेंद्र कुमार, रमा पाण्डेय को प्रचार मंत्री, मनीष कुमार को लेखाकर, अजय त्रिपाठी को आय व्यय निरीक्षक, गिरजेश सिंह को संरक्षक के रूप में निर्विरोध चुना गया। संघर्ष समिति कार्यकारिणी में मनीष कुमार मिश्रा को अध्यक्ष, अखिलेश श्रीवास्तव को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आदित्य, देवेंद्र यादव, महेंद्र कनौजिया, जाहिद अली सविता पाण्डेय को उपाध्यक्ष, डॉ अश्विनी कुमार पाण्डेय को मंत्री, चंदन श्रीवास्तव को संयुक्त मंत्री, बच्चा राम, अमरीश यादव, रमेश चौरसिया, रजनीश कुमार, अनुराग श्रीवास्तव, अश्वनी उपाध्याय को संगठन मंत्री, शिशिर श्रीवास्तव को कोषाध्यक्ष, राधेश्याम चौधरी को आय व्यय निरीक्षक घोषित किया गया।

मुख्य अतिथि ने कहा कि शिक्षक समाज को एक आईना दिखाता है और बिना शिक्षक के समाज प्रगति नहीं कर सकता। विशिष्ट अतिथि खंड विकास अधिकारी अनिल यादव द्वारा सेवानिवृत हुए शिक्षक हरिश्चंद्र उपाध्याय, रामबचन, राम प्रकाश शुक्ल, कृष्ण चंद्र शुक्ल को स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र, मिष्ठान, छड़ी,धार्मिक पुस्तक देकर सम्मानित किया गया।खंड शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार द्वारा शिक्षक संगठन के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रामनगर व जिला कोषाध्यक्ष जय राम सिंह को अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया ।जिला अध्यक्ष चन्द्रिका सिंह व जिला मंत्री बालकृष्ण ओझा द्वारा बताया गया कि अधिवेशन का कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा 7 मई को हरैया में ब्लॉक अधिवेशन है इसी क्रम में 15 मई तक सभी ब्लॉकों में शिक्षक संघ का अधिवेशन का कार्यक्रम प्रस्तावित है सभी शिक्षक पर चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और वर्तमान समय में संघर्ष से ही शिक्षक अपना नया मार्ग खोल सकता है।

कार्यक्रम में अनुदेशक संघ के जिला अध्यक्ष अमित सिंह, शिक्षामित्र संघ के अध्यक्ष लालता प्रसाद, बाल गोपाल शुक्ला, मेराज, मनोज यादव सहित सैकड़ों की संख्या में शिक्षक ,शिक्षामित्र व अनुदेशक उपस्थित रहे।

केक काटकर मनाया गया बस्ती का स्थापना दिवस वशिष्ठ महोत्सव के शोभा यात्रा में उमडे लोग

–भारतीय बस्ती संवाददाता

बस्ती। वशिष्ठ महोत्सव के दूसरे दिन बुधवार को अमर बलिदानी सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में धूम धाम से बस्ती का स्थापना दिवस मनाया गया। सुबह 06 बजे हजारों की सख्या में आई प्रदेश के विभिन्न जनपदों की बालक बालिका टीमों और आयोजक मंडल द्वारा भव्य वशिष्ठ यात्रा निकाली गई । बैंड बाजे के साथ हाथों में तिरंगा ध्वज लिए भारत माता की जय और महर्षि वशिष्ठ जी की जयकार करते हुए यात्रा स्टेडियम से लाल बहादुर शास्त्री चौराहा, राणा प्रताप तिराहा, गुरु गोविंद सिंह चौक, संत गाडगे तिराहा, न्याय मार्ग होते हुए स्टेडियम परिसर पहुंचा। अपराह्न मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्र, अंकुर वर्मा, पवन कसौधन, और कार्यक्रम संयोजक राना दिनेश प्रताप सिंह ने कार्यक्रम स्थल पर 51 किलो का केक काटा तो पूरा स्टेडियम परिसर खुशी से झूम उठा। खिलाडियों ने एक दूसरे को केक खिलाकर बधाई दिया।

भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने कहा की महर्षि वशिष्ठ जी की पावन भूमि का स्वर्णिम इतिहास हमारा गौरव है। उन्होंने वशिष्ठ महोत्सव की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं और कलाकारों को अवसर मिलता है। विधायक अजय सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते कहा कि महर्षि वशिष्ठ की पुण्य भूमि की सेवा करना सौभाग्य की बात है । उन्होंने कहा कि बस्ती के युवाओं को प्रदेश और देश स्तर पर अपनी उपयोगिता सिद्ध करने में उर्जा लगानी चाहिए। कार्यक्रम संयोजक राना दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि बस्ती में प्रतिभा की कमी नहीं है बस आवश्यकता है कि उन्हें अवसर तथा माहौल प्रदान किया जाए। श्री राना ने अतिथियों और खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए आभार जताया। बस्ती सदर के ब्लॉक प्रमुख राकेश श्रीवास्तव, साउं घाट के ब्लॉक प्रमुख अभिषेक कुमार,राजा ऐश्वर्य प्रताप सिंह, क्रीड़ा भारती के गोरक्ष प्रांत के महामंत्री वी एन मिश्र, कर्नल के सी मिश्र, आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। देर रात तक वशिष्ठ महोत्सव में जहां कवियों ने जलवे बिखेरे वही सांस्कृतिक संध्या को लोगों ने खूब सराहा।

–कवि सम्मेलन में झूमे श्रोताः अनेक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन

जनपद के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित वशिष्ठ महोत्सव के प्रथम दिवस की संध्याकालीन बेला में विराट कवि सम्मेलन आयोजित हुआ।जिसकी अध्यक्षता विख्यात कवि राम कृष्ण लाल जगमग जी ने और संचालन वेद प्रकाश दिवेदी। जी ने किया। कवियों की रचनाओं को सुनकर श्रोता ओत प्रोत होते रहे और सभी तालिया बजाकर उत्साहवर्धन करते रहे। कवि सम्मेलन की शुरुआत कार्यक्रम के आयोजक राणा दिनेश प्रताप सिंह जी ने महर्षि वशिष्ठ की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं उनके सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया।

वाणी बंदना कुमार शैल सत्यार्थी ने किया, इसके बाद अजय कुमार वर्मा अजेय ने, हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले और दूर जिस दिन से हम आपसे हो गए कोई त्योहार हमने मनाया नहीं, विकास भट्ट कामिल ने फलसफा जिंदगी का सुनता रहा खुद को खुद की कहानी सुनाता रहा, कुमार शैल सत्यार्थी ने चुटकुले अंदाज में राजेश मिश्रा राज ने बेटियों में संबंधित कविता प्रस्तुत वाहवाही लूटी, दीपक सिंह प्रेमी, हरकेश प्रजापति, जगदंबा प्रसाद भाउक, धूप में प्रेम रस की रचनाओं से श्रोताओं का मनोरंजन किया। विनोद उपाध्याय अनवर पाशा ने देशभक्ति रचनाओं को प्रस्तुत कर वाहवाही लूटी, डॉक्टर अफजल हुसैन अफजल, अर्चना श्रीवास्तव सागर गोरखपुरी,ने अपनी कविताएं सुना कर श्रोताओं को खूब हसाया।कार्यक्रम के अध्यक्ष रामकृष्ण लाल जगमग ने अपनी प्रसिद्ध कविताओं से सभी का मनोरंजन किया और संचालक वेद प्रकाश द्विवेदी ने अपने ओज की कविताओं से सबके अंदर देशभक्ति के जज्बे पैदा किया जिसे खूब वाहवाही मिली।वशिष्ठ महोत्सव के प्रथम दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक संध्या में लखनऊ से पधारी पंडित अर्जुन जी महाराज जी की सुपुत्री स्मृति मिश्रा कथक नृत्यांगना लखनऊ घराना ने तीन ताल में ठुमरी, कृष्ण वंदना 54 चक्कर से, और कृष्ण नटखट बाल गोपाल की माखन चोरी की लीला को अपने नृत्य भाव भंगिमाओ की प्रस्तुति,तथा शशिकांत दुबे लोक नृत्य टीम लखनऊ द्वारा, प्रभु राम जी की अवतरित प्रकट कृपा पर बधावा नृत्य,को उत्साह उमंग एवं भक्ति रस भाव से संपूर्ण प्रस्तुति दे कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रोता, दर्शक गण को हर्षित एवम आनंदित हुए।

राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता में बालिका संवर्ग में गोरखपुर ने श्रावस्ती को 09 पॉइंट से, वाराणसी ने देवरिया को 03 प्वाइंट, अयोध्या ने कौशांबी को 04 प्वाइंट से हटाकर जीत दर्ज किया। बालक वर्ग में बलिया ने सोनभद्र को 08 प्वाइंट, अमरोहा ने चंदौली को 05 प्वाइंट, गोंडा ने गाजियाबाद को 09 प्वाइंट से कराकर जीत दर्ज किया। वालीबाल मैच में पहले मैच में पैड़ा (25 प्वाइंट) ने मंझरिया (18 प्वाइंट) को हरा कर विजेता रही दूसरे मैच में पकरी चौहान (25 प्वाइंट) ने कटनी (18प्वाइंट) को हराकर विजेता रही तीसरे मैच में एसएमडीएस गौर ने वाकओवर पाकर पेठिया लश्करी को हरा कर विजेता रही चौथे मैच में बस्ती स्टेडियम (25 प्वाइंट) में एच एम ए हरैया (21प्वाइंट) को हराकर विजेता रही । पांचवा मैच में पैड़ा (25 प्वाइंट) ने भादी (19 प्वाइंट) को हराकर विजेता रही। पहला सेमीफाइनल बस्ती स्टेडियम (25 प्वाइंट) ने पैड़ा (22 प्वाइंट) को हराकर विजेता रही दूसरा सेमीफाइनल पकरी चौहान (25 प्वाइंट) ने एस एम डी एस गौर (21 प्वाइंट) को हराकर विजेता रही फाइनल मैच कल खेला जाएगा। कबड्डी के मैच में मैच– वी आर एस कप्तानगंज (20 प्वाइंट) ने कोठवा भरतपुर (15 प्वाइंट) को हराकर विजेता रही । मैच– बस्ती टाइगर (18 प्वाइंट) ने वी आर एस (09 प्वाइंट) को हराकर विजेता रही । हैण्डबाल के मैच में (बालक)। मैच – लल्लन प्रसाद (06प्वाइंट) ने किसान इंटर कालेज (05 प्वाइंट) को हरा कर विजेता रही । मैच– जी आई सी इंटर कॉलेज (07 प्वाइंट) ने लल्लन प्रसाद (04 प्वाइंट) को हराकर विजेता रही ।

सेमीफइनल मैच– 1–मैच– स्टेडियम ए (11 प्वाइंट) ने जी आई सी (09 प्वाइंट) को हराकर विजेता रही । 2–मैच– लक्ष्य एकेडमी (13 प्वाइंट) ने लल्लन प्रसाद (07 प्वाइंट) को हराकर विजेता रही फाइनल कल खेला जायेगा । हैण्डबाल के मैच में (बालिका) ,1–सेमीफइनल मैच– स्टेडियम ए (14 प्वाइंट) ने जीजी आई सी (09 प्वाइंट) को हराकर विजेता रही 2–सेमीफइनल मैच– स्टेडियम बी (11 प्वाइंट) ने बेगम खैर (06 प्वाइंट) को हराकर विजेता रही। फाइनल मैच कल खेला जायगा। निर्णायक प्रभाकर ओझा, मनोज राय, विवेक श्रीवास्तव, रणधीर सिंह, दीपक सिंह मनोज सिंह सहित 80 निर्णायक रहे।

महंगे मैरिज हॉल से मिलेगी राहत दुष्यंत विक्रम सिंह की दूरदर्शिता से सल्टौआ ब्लॉक को मिली नई पहचान

–सौरभ वी.पी. वर्मा–

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती– ग्रामीण इलाकों में शादी–विवाह जैसे सामाजिक आयोजनों का मतलब अक्सर भारी खर्च और कर्ज का दबाव होता है। निजी मैरिज हॉल की ऊंची कीमतें आम परिवारों के सपनों पर बोझ बन जाती हैं। लेकिन अब सल्टौआ विकास खंड से एक ऐसी पहल सामने आई है, जो इस तस्वीर को बदलने की तैयारी में है।

ब्लॉक परिसर में बन रहा मल्टीपरपज भवन अब अंतिम चरण में है और जल्द ही यह आम जनता के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आएगा। इस परियोजना के पीछे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि दुष्यंत विक्रम सिंह की दूरदर्शी सोच और जनहित की स्पष्ट झलक दिखाई देती है।

दरअसल, शासन की मंशा भी यही रहती है कि पंचायतें चाहे ग्राम पंचायत हों, क्षेत्र पंचायत हों या नगर पंचायत अपनी आय के स्रोत विकसित करें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि दुष्यंत विक्रम सिंह ने यह पहल की है। इस भवन से होने वाली आय क्षेत्र पंचायत निधि में जमा की जाएगी, जिससे विकास कार्यों को और गति मिल सकेगी।

दुष्यंत विक्रम सिंह ने बातचीत में कहा कि हमने हमेशा यह महसूस किया कि एक साधारण परिवार के लिए बेटी की शादी या कोई भी बड़ा कार्यक्रम करना आर्थिक चुनौती बन जाता है। निजी मैरिज हॉल के नाम पर लोगों से 50 हजार से लेकर लाखों रुपये तक वसूले जाते हैं। हमारा प्रयास है कि वही सुविधाएं ब्लॉक स्तर पर बेहद कम शुल्क में उपलब्ध कराई जाएं, ताकि आम आदमी सम्मान के साथ अपने कार्यक्रम कर सके। उन्होंने आगे कहा यह भवन सिर्फ एक हॉल नहीं, बल्कि जनता के लिए एक समर्पित सुविधा केंद्र होगा। यहां सैकड़ों गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है, विशाल बैठने की जगह है और स्वच्छ पेयजल सहित सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। हम चाहते हैं कि यह भवन हर वर्ग के लोगों के लिए उपयोगी साबित हो।

उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुलभ स्थान मिले, जहां वे बिना किसी परेशानी के अपने सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रम सम्पन्न कर सकें।

वहीं खंड विकास अधिकारी अनिल कुमार यादव ने निर्माण कार्य की प्रगति पर जानकारी देते हुए कहा कि मल्टीपरपज भवन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। गुणवत्ता और मानकों का विशेष ध्यान रखा गया है। भवन के पूर्ण होते ही निर्धारित नियमों और शुल्क के अनुसार आम जनता को कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी जाएगी।

स्थानीय लोगों में इस पहल को लेकर उत्साह साफ देखा जा सकता है। माना जा रहा है कि यह मल्टीपरपज भवन न केवल आर्थिक रूप से लोगों को राहत देगा, बल्कि सल्टौआ ब्लॉक को एक नई पहचान भी दिलाएगा। अब देखना होगा कि यह पहल आने वाले समय में ग्रामीण विकास के मॉडल के रूप में कितनी बड़ी मिसाल बनती है।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 7 मई 2026 गुरूवार

हिन्दू भाजपा के साथ, मुस्लिम कांग्रेस की ओर!

—नीरज कुमार दुबे—

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुडुचेरी में संपन्न विधानसभा चुनावों के नतीजों ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों के लिए मिला जुला चित्र प्रस्तुत किया है। कुछ राज्यों में पार्टी को निराशा हाथ लगी, जबकि कुछ क्षेत्रों में उसे उल्लेखनीय सफलता भी मिली। इन चुनावों का एक महत्वपूर्ण पक्ष मुस्लिम उम्मीदवारों का प्रदर्शन रहा, जिसने कई राज्यों में राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा दी है। खास तौर पर असम और केरलम में कांग्रेस तथा उसके सहयोगी दलों के मुस्लिम प्रत्याशियों ने प्रभावशाली जीत दर्ज कर यह संकेत दिया है कि इन इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा अभी भी इस गठबंधन के साथ बना हुआ है।

केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ने दस वर्षों के लंबे अंतराल के बाद सत्ता में वापसी की। राज्य में चुने गए 35 मुस्लिम विधायकों में से 30 संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा से संबंधित हैं। इनमें कांग्रेस के आठ और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 22 विधायक शामिल हैं। यह परिणाम बताता है कि राज्य में मुस्लिम मतदाताओं ने संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा पर व्यापक भरोसा जताया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की उम्मीदवार फातिमा तहलिया की जीत विशेष रूप से चर्चा में रही। उन्होंने कोझिकोड जिले की पेराम्ब्रा सीट पर माकपा नेता टीपी रामकृष्णन को पांच हजार से अधिक मतों से हराया। इस जीत के साथ वह पार्टी की पहली मुस्लिम महिला विधायक बन गईं। उनकी सफलता को मुस्लिम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

असम में कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों का प्रदर्शन और भी अधिक प्रभावशाली रहा। पार्टी ने राज्य में 20 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 18 ने जीत दर्ज की। इसके विपरीत कांग्रेस के अधिकांश गैर मुस्लिम उम्मीदवार हार गए और केवल एक गैर मुस्लिम प्रत्याशी को सफलता मिली। कांग्रेस ने कुल 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मुस्लिम उम्मीदवारों की सफलता दर अत्यंत ऊंची रही। कांग्रेस के सहयोगी रायजोर दल को भी दो सीटों पर जीत मिली, जिनमें एक मुस्लिम उम्मीदवार की थी, जबकि दूसरी सीट अखिल गोगोई ने जीती। अखिल गोगोई पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा माओवादी गतिविधियों से जुड़े आरोपों की जांच चल रही है।

असम में कई सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने भारी अंतर से जीत दर्ज की। गौरिपुर सीट पर कांग्रेस के अब्दुल सोबहान अली सरकार ने भाजपा समर्थित उम्मीदवार निजानुर रहमान को 19097 मतों से हराया। जलेश्वर सीट पर कांग्रेस के आफताब मोल्ला ने एआईयूडीएफ नेता शेख आलम को 109688 मतों के भारी अंतर से पराजित किया। समागुरी में तंजिल हुसैन ने भाजपा के अनिल सैकिया को 108310 मतों से हराया। इसके अलावा अलगापुर कटलीछड़ा जैसी सीटों पर भी कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत का अंतर एक लाख से अधिक रहा। इन परिणामों ने यह संकेत दिया कि असम के कई क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के पक्ष में मजबूती से एकजुट हुए।

हालांकि असम में कांग्रेस की इस सफलता के बावजूद एआईयूडीएफ प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एआईयूडीएफ को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अब स्वयं समाप्त हो गई है। अजमल ने यह भी कहा कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग बन गई है और यह स्थिति उन्हें दुखी करती है। उनका यह बयान असम की राजनीति में मुस्लिम मतों को लेकर चल रही प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। हम आपको यह भी याद दिला दें कि चुनाव प्रचार के दौरान असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उसे "माओवादी मुस्लिम लीग कांग्रेस" करार दिया था। आखिरकार उनकी बात सही साबित हुई।

वहीं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को केवल दो सीटों पर जीत मिली, लेकिन दोनों सीटें मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से थीं। पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस की तुलना में अधिक मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। वहीं तमिलनाडु में कांग्रेस ने दो मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिनमें से एक को जीत मिली। इन परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस ने कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय को साधने की रणनीति अपनाई थी और कुछ स्थानों पर उसे इसका लाभ भी मिला। मत प्रतिशत के आंकड़े भी इन चुनावों की राजनीतिक दिशा को स्पष्ट करते हैं। असम में भाजपा को 37.81 प्रतिशत मत मिले, जबकि कांग्रेस को 29.84 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। दूसरी ओर केरलम में कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को मिलाकर कुल 39.80 प्रतिशत मत मिले। इससे यह स्पष्ट होता है कि केरलम में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हुआ।

बहरहाल, इन विधानसभा चुनावों ने यह संकेत दिया है कि देश की राजनीति में धार्मिक और सामाजिक आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण और अधिक स्पष्ट होता जा रहा है। एक ओर जहां भाजपा को व्यापक रूप से हिंदू मतदाताओं का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय का झुकाव फिर से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। खासकर असम और केरलम में मुस्लिम उम्मीदवारों की उल्लेखनीय सफलता ने कांग्रेस को नई राजनीतिक ऊर्जा दी है। वहीं भाजपा और अन्य दलों द्वारा कांग्रेस पर तुष्टीकरण तथा वोटबैंक की राजनीति के आरोपों ने इस बहस को और तेज कर दिया है। आने वाले समय में यह राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और अधिक तीखी हो सकती है, क्योंकि विभिन्न दल अपने अपने सामाजिक आधार को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं।

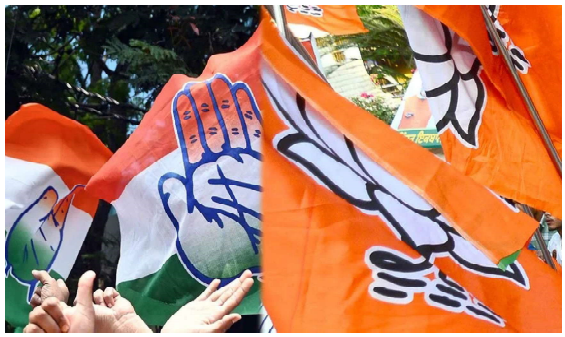

सम्पादकीय

सिनेमा से सत्ता तक विजय

तमिलनाडु में सिनेमा और सियासत का खासा प्रभाव रहा है, जहां कई लोकप्रिय अभिनेताओं ने फिल्मी परदे से निकलकर सत्ता के गलियारों तक का सफर तय किया है। राज्य में अभिनेता से नेता बनने की परंपरा की नींव एमजी रामचंद्रन ने रखी थी। उन्होंने वर्ष 1972 में द्रमुक से अलग होकर अन्नाद्रमुक पार्टी का गठन किया और लंबे समय तक राज्य की सत्ता संभाली। अब तमिल सिनेमा के मशहूर अभिनेता विजय भी उनकी राह पर हैं। उनकी पार्टी टीवीके राज्य विधानसभा चुनावों में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है।

टीवीके की इस जीत को इसलिए अहम माना जा रहा है कि यह उसका पहला चुनाव था और उसने राज्य के इतिहास में एक बार फिर राजनीति की दिशा बदल दी है। इससे पहले यहां की सियासत केवल दो दलों द्रमुक और अन्नाद्रमुक के इर्द–गिर्द केंद्रित रहती थी। हालांकि, विजय की पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया है, लेकिन राज्य में उनकी सरकार बननी लगभग तय है। अब देखना होगा कि सत्ता संभालने के बाद वे जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतर पाएंगे।

गौरतलब है कि तमिलनाडु की सियासत में एमजी रामचंद्रन के बाद कई फिल्मी सितारों ने कदम रखा, जिनमें जयललिता का नाम सबसे ऊपर है। अभिनेता विजयकांत और कमल हासन ने भी नए दलों का गठन किया, लेकिन उन्हें खास कामयाबी नहीं मिल पाई। इसके अलावा, रजनीकांत ने भी वर्ष 2020 में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का एलान किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने कदम वापस खींच लिए। वहीं, अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके को बने हुए लगभग दो साल का ही वक्त हुआ है और पहले ही चुनाव में उसने राज्य की मुख्यधारा के दोनों दलों को करारी शिकस्त देकर शानदार जीत हासिल की है।

विजय को अभिनेता के रूप में जिस तरह की फिल्मों से लोकप्रियता मिली है, उनमें से ज्यादातर व्यवस्था की जटिलता एवं उसमें सुधार पर केंद्रित रही हैं। अब यह देखने की बात होगी कि इससे पहले सत्ता पर मजबूत पकड़ रखने वाली द्रमुक की राज्य में शासन और विकास की नीतियों के समांतर अब विजय और उनकी टीवीके तमिलनाडु की राजनीति को कौन–सी नई दिशा देते हैं।

महिलाओं की राजनीति में भागीदारी

देश की सभी पार्टियां राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का एक मत से समर्थन करती हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाने के लिए तैंतीस फीसद आरक्षण का विधेयक पारित कराने में भी सभी दलों की भूमिका रही। मगर महिलाओं की नुमाइंदगी के सवाल पर संजीदा दिखने वाली लगभग सभी पार्टियां क्या तब तक इस मुद्दे पर ठोस पहल नहीं करेंगी, जब तक विधायिका में आरक्षण की व्यवस्था व्यवहार में लागू न हो जाए?

आखिर क्या वजह है कि देश में लोकसभा या फिर विधानसभा के लिए जब भी चुनाव होते हैं, तो उसमें पर्याप्त संख्या में महिलाओं को टिकट देने को लेकर ईमानदार इच्छाशक्ति का अभाव दिखता है? गौरतलब है कि चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों की ओर से जितनी महिलाओं को टिकट दिया गया और उनमें जीतने वालों की जो संख्या रही, वह महिला भागीदारी के सवाल पर राजनीतिक दलों के प्रचारित सरोकार के प्रति ईमानदारी को कठघरे में खड़ा करती है।

दरअसल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी में हुए चुनाव के दौरान कुल आठ सौ चौबीस सीटों पर चुनाव हुए। उनमें जीत हासिल करने वाली महिलाओं का अनुपात बेहद कम रहा। नतीजों के मुताबिक, इन पांचों प्रदेशों में कुल पांच फीसद सीटों पर ही महिलाएं चुनी गईं। इन राज्यों में अलग–अलग पार्टियों ने महिलाओं को टिकट देने में भी अपने घोषित सरोकारों के उलट रवैया अपनाया। मसलन, पश्चिम बंगाल में दो सौ सात सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आने वाली भाजपा ने सभी 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन उसने सिर्फ तैंतीस सीटों पर महिलाओं को मौका दिया था।

जबकि तृणमूल कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारी के 291 सीटों में से 52 महिलाओं को टिकट दिया था। नतीजतन, राज्य की कुल सीटों में से सिर्फ दस फीसद महिलाएं जीत सकीं। दूसरी ओर, तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ, जहां सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी टीवीके 234 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन उसने सिर्फ चौबीस महिलाओं को उम्मीदवार बनाया था। असम में फिर से जीतने वाली भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने 126 सीटों में से केवल छह महिलाओं को टिकट दिया। केरल में जीत हासिल करने वाली यूडीएफ ने सिर्फ दस महिलाओं को मौका दिया।

जाहिर है, तकरीबन सभी पार्टियों ने महिलाओं को उम्मीदवार बनाने में कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। हालांकि हाल ही में संसद में परिसीमन विधेयक पारित न होने के संदर्भ में महिला आरक्षण का सवाल चुनावी राजनीति का भी मुद्दा बना और भाजपा की ओर से इस मसले पर विपक्षी दलों पर सवाल उठाए गए। विडंबना यह है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के घोषित दावों के बरक्स टिकट देने के मामले में भाजपा सहित सभी पार्टियों के भीतर इच्छाशक्ति की कमी दिखती है। क्या यही सबसे बड़ी वजह नहीं है कि विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने और एक न्यायपूर्ण संतुलन के लिए आरक्षण की जरूरत पड़ी? महज औपचारिकता पूरी करने के लिए किसी महिला को टिकट देना सरोकारों के प्रति ईमानदारी को नहीं दर्शाता है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि महिला आरक्षण की व्यवस्था को जल्द लागू किया जाए और उसके समांतर सभी राजनीतिक दलों की ओर से महिलाओं को अधिकार के रूप में ज्यादा से ज्यादा अवसर देने को लेकर ईमानदारी से पहल हो।

इंडिया गठबंधन के अस्तित्व को बचाने की बड़ी चुनौती

—अजय कुमार—

भारतीय राजनीति के फलक पर 2026 के विधानसभा चुनाव नतीजों ने एक ऐसी लकीर खींच दी है, जिसने विपक्षी एकजुटता के दावों और शइंडियाश गठबंधन के भविष्य पर गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं। चुनावी मैदान के जो आंकड़े सामने आए हैं, वे न केवल चौंकाने वाले हैं, बल्कि गठबंधन के भीतर की गहरी दरारों और वैचारिक विरोधाभासों को भी पूरी तरह नग्न कर देते हैं। एक तरफ कांग्रेस केरल में यूडीएफ के जरिए सत्ता की दहलीज पर खड़ी नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में गठबंधन के दो सबसे मजबूत स्तंभों तृणमूल कांग्रेस और डीएमके का सत्ता से बेदखल होना पूरे विपक्ष के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं है। विडंबना देखिए कि केरल में कांग्रेस की जीत उसी वामपंथ की हार की कीमत पर मिल रही है, जो राष्ट्रीय स्तर पर उसके साथ शइंडियाश ब्लॉक में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का दावा करता है। यह अंतर्विरोध बताता है कि गठबंधन की जमीन कितनी दरक चुकी है। ममता बनर्जी और एम.के. स्टालिन जैसे कद्दावर नेताओं की अपने–अपने राज्यों में हार ने इस धारणा को पुख्ता कर दिया है कि क्षेत्रीय दलों का अभेद्य किला अब दरक रहा है। बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जड़ें जमाई हैं और अंततः सत्ता हासिल की है, उसने न केवल राज्य की राजनीति को बदला है, बल्कि पूरे देश में विपक्ष के मनोबल को तोड़कर रख दिया है। अब सवाल सिर्फ सत्ता हासिल करने का नहीं रह गया है, बल्कि अस्तित्व को बचाने की एक बेहद कठिन लड़ाई का बन गया है। ममता बनर्जी अब भी एकजुटता का राग अलाप रही हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के फोन कॉल्स का हवाला देकर यह जताने की कोशिश कर रही हैं कि गठबंधन अभी टूटा नहीं है, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता का यह कहना कि शहम हारे नहीं, हमें हराया गया हैश और चुनाव आयोग को खलनायक बताना, हार की हताशा को ही दर्शाता है।

गठबंधन के भीतर का विरोधाभास तब और गहरा हो जाता है जब हम चुनाव प्रचार के दौरान के बयानों को याद करते हैं। इसी बंगाल की जमीन पर राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की थी। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों की पूछताछ का हवाला देकर ममता की नीयत पर सवाल उठाए थे। हालांकि, अब नतीजों के बाद राहुल गांधी के सुर बदले हुए हैं। वह एक्स पर बंगाल और असम के जनादेश की श्चोरीश की बात कर रहे हैं और इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। लेकिन क्या यह हृदय परिवर्तन केवल राजनीतिक मजबूरी है? कांग्रेस के भीतर ही अधीर रंजन चौधरी जैसे नेताओं के बयान राहुल के स्टैंड से मेल नहीं खाते। अधीर ने स्पष्ट रूप से इसे शसत्ता विरोधी लहरश और शभगवा लहरश का परिणाम बताया था। गठबंधन की इस खींचतान का सीधा फायदा सत्ताधारी दल को मिल रहा है, जो अब और भी अधिक आक्रामक होकर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी में है।

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के नतीजों ने एक नई चिंता को जन्म दिया है वह है क्षेत्रीय दलों के सांसदों के टूटने का डर। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सांसदों ने पाला बदला, वही खतरा अब टीएमसी और डीएमके पर भी मंडरा रहा है। लोकसभा में इन दोनों दलों के पास 81 सांसदों का बड़ा आंकड़ा है। यदि परिसीमन या यूसीसी (समान नागरिक संहिता) जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर बीजेपी को रोकना है, तो इन दलों को अपने कुनबे को बिखरने से बचाना होगा। लेकिन सत्ता हाथ से जाने के बाद विधायकों और सांसदों को एकजुट रखना किसी हिमालयी चुनौती से कम नहीं है। क्षेत्रीय राजनीति का दबदबा जो कभी भारतीय राजनीति की पहचान हुआ करता था, अब सिमटता जा रहा है। बिहार, दिल्ली और अब बंगाल–तमिलनाडु के उदाहरण बताते हैं कि मतदाता अब शडबल इंजनश या एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं।

अगले साल यानी 2027 में होने वाले सात राज्यों के विधानसभा चुनाव विपक्ष के लिए और भी बड़ी अग्निपरीक्षा साबित होने वाले हैं। इन सात में से पांच राज्यों में पहले से ही बीजेपी का कब्जा है। केवल पंजाब और हिमाचल प्रदेश में गैर–भाजपा सरकारें हैं, जिन पर अब शतलवारश लटकती नजर आ रही है। असम में अपनी पकड़ मजबूत करने और बंगाल में झंडा गाड़ने के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है। वहीं, विपक्षी खेमा आंतरिक कलह, नेतृत्व के संकट और स्पष्ट विजन की कमी से जूझ रहा है। बदरुद्दीन अजमल जैसे नेताओं के तीखे बयान, जो कांग्रेस को शमुस्लिम लीगश बता रहे हैं, इस बात का सबूत हैं कि गठबंधन के घटक दल अब एक–दूसरे के खिलाफ ही कुआं खोद रहे हैं।

सत्ता अब विपक्ष की पहुंच से कोसों दूर दिखाई दे रही है। बीजेपी का बढ़ता ग्राफ और विपक्षी दलों का सिमटता प्रभाव यह संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में यूसीसी और सीएए–एनआरसी जैसे विवादास्पद मुद्दों पर सरकार को किसी भी बड़े प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। विपक्ष के पास न तो अब चुनावी राज्यों का संसाधन बचा है और न ही वह नैतिक बल, जो जनता को आंदोलित कर सके। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की स्थिति हो या झारखंड और बिहार में क्षेत्रीय क्षत्रपों का संघर्ष, हर जगह कहानी एक ही है बिखरता कुनबा और बढ़ता भगवा दबाव। ऐसे में शइंडियाश ब्लॉक का भविष्य केवल नेताओं की मुलाकातों और फोन कॉल्स तक सीमित रह जाएगा या वह सच में कोई ठोस विकल्प दे पाएगा, यह कहना अभी मुश्किल है। फिलहाल तो स्थिति यह है कि विपक्ष अपने घर को बचाने की जद्दोजहद में ही इतना उलझ गया है कि उसे सत्ता की लड़ाई का होश ही नहीं रहा। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां संतुलन पूरी तरह से एक तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है।

वोट चोरी पर राजनीतिक चुप्पी क्यों.?

—संजय सक्सेना—

भारत की पवित्र भूमि सदैव संतों, साधुओं और महानायकों की धरोहर रही है। हर कोने में ऐसे पराक्रमी पुरुष और नारियां जन्म लेती रही हैं जिन्होंने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया। अंग्रेजी राज के विरुद्ध महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों ने प्राणों की बाजी लगा दी। आजादी के बाद भी जब सत्ता के नशे में कोई सरकार तानाशाही का रंग दिखाने लगी, तब लोकनायक जयप्रकाश नारायण 'जेपी' जैसे योद्धाओं ने सत्ता की नींव हिला दी। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने न्यायालय के एक निर्णय के विरुद्ध पूरे देश पर आपातकाल थोप दिया, तो जयप्रकाश नारायण ने ऐसा प्रलयंकारी आंदोलन खड़ा किया कि कांग्रेस की सत्ता जड़ से उखड़ गई। इस आंदोलन में कांग्रेस छोड़कर आए विपक्ष के अनेक प्रमुख नेता शामिल हुए। इनमें आचार्य जे.बी. कृपलानी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, मधु लिमये, राज नारायण, कर्पूरी ठाकुर, शरद जोशी, दीनदयाल उपाध्याय के अनुयायी और भी कई दिग्गज थे। इन सबने जयप्रकाश के नेतृत्व में एकजुट होकर तानाशाही के विरुद्ध जनसैलाब खड़ा कर दिया। यह घटना भले ही पचास वर्ष पुरानी हो, किंतु इसके समान अनेक आंदोलनों ने देश की राजनीति को नई दिशा दी है। लेकिन सवाल यह है कि आज जब कांग्रेस और विपक्ष के अन्य नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी से सत्ता हथियाने का आरोप लगा रहा है, तब बीजेपी विरोधी नेता मीडिया में शोर मचाने की बजाय जनता को संगठित कर आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? क्या विपक्ष में जयप्रकाश जैसा कोई नायक नहीं है? या फिर भारतीय जनता पार्टी को देष की जनता उसकी विचारधारा के चलते हाथों हाथ ले रही है। इसी का परिणाम है पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार का आना और असम में बीजेपी का हैट्रिक लगाना। बीजेपी की इस जीत को विपक्ष बीजेपी की वोट चोरी बता रहा है।

जयप्रकाश का ऐतिहासिक विद्रोह

भारत माता की गोद में एक कायस्थ परिवार में जन्मे जयप्रकाश नारायण, जिन्हें सब लोकनायक कहते थे, स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सिपाही रहे। बिहार भूमि के इस सपूत ने गांधीजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजी हुकूमत को ललकारा। आजादी मिलने के बाद वे समाजवादी धारा के प्रखर नेता बने। 1971 के चुनावों में कांग्रेस की प्रचंड विजय के बाद भ्रष्टाचार और कुशासन चरम पर पहुंच गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अमान्य घोषित कर दिया। इससे घबराई इंदिरा ने 25 जून को पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। प्रेस पर ताले लग गए, विपक्षी नेताओं को जेलों में ठूंस दिया गया। संपूर्ण अधिकार निलंबित हो गए। इसी अंधेरे में जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान से विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। उनका नारा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर लिया। बिहार से शुरू होकर गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तक फैल गया। छात्र, किसान, मजदूर, बुद्धिजीवी सब सड़कों पर उतर आए। जयप्रकाश ने सम्पूर्ण क्रांति का मंत्र दिया, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन की बात थी। कांग्रेस के कई नेताओं ने इस आंदोलन से प्रभावित होकर दलबदल लिया। मोरारजी देसाई जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी ने त्यागपत्र दे दिया। आचार्य कृपलानी ने भारतीय लोक दल बनाया। चरण सिंह किसान नेता के रूप में आगे आए। जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने इस आंदोलन में पूरे जोश से भाग लिया। समाजवादी धड़े से जॉर्ज फर्नांडिस, मधु लिमये ने भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया। राज नारायण ने इंदिरा को हराकर लोकसभा पहुंचे। इन सबने मिलकर 1977 के चुनावों में कांग्रेस को धूल चटा दी। जनता पार्टी बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री। जयप्रकाश का आंदोलन सिद्ध करता है कि जनशक्ति सत्ता को घुटनों पर ला सकती है।

अन्य ऐतिहासिक आंदोलन

जयप्रकाश का आंदोलन अकेला नहीं था। भारत ने अनेक बार जन आक्रोश देखा है जो सत्ताधारियों को झुकने पर मजबूर कर गया। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध वी.पी. सिंह सरकार के विरुद्ध लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। यह राम जन्मभूमि आंदोलन का रूप ले लिया। लाखों कारसेवक अयोध्या पहुंचे। इससे भाजपा मजबूत हुई और सरकार गिरी। 2011 में अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध रामलीला मैदान में अनशन किया। लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पर उतरे। संसद में लोकपाल विधेयक पर बहस छिड़ गई। यूपीए सरकार को घुटने टेकने पड़े। अन्ना को जनता का दूसरा जयप्रकाश कहा गया। 1974 के गुजरात नवनिर्माण आंदोलन में छात्रों ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व में चिमनभाई पटेल सरकार गिराई। यह जयप्रकाश आंदोलन का पूर्व संकेत था। 1980 के दशक में किसान आंदोलनों ने महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश में सरकारों को हिलाया। शरद जोशी के शेतकारी संगठन ने महाराष्ट्र में खाद्य नीति बदली। 1992 के बाद भी बाबरी विध्वंस के बाद कई राज्य सरकारें बदलीं। 2019–2020 में नागरिकता संशोधन विधेयक के विरुद्ध शाहीन बाग में महिलाओं ने महीनों धरना दिया। इससे भाजपा को कई सीटें गंवानी पड़ीं। 2020–2021 के किसान आंदोलन ने तीन कृषि कानूनों को रद्द करा दिया। राकेश टिकैत जैसे नेता उभरे। दिल्ली की सीमाओं पर लाखों किसान डटे रहे। मोदी सरकार को कानून वापस लेने पड़े। ये उदाहरण सिद्ध करते हैं कि संगठित जनआंदोलन किसी भी सत्ता को डिगमगा सकता है। मीडिया शोर से कुछ नहीं होता, सड़क पर जनता उतरे तो परिवर्तन होता है।

विपक्ष का बीजेपी पर वोट चोरी आरोप

आजादी के 79 वर्ष बाद भी राजनीति में वही पुरानी बीमारियां हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्ष ने भाजपा पर मतों की चोरी का आरोप लगाया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर संदेह जताया। कई स्थानों पर मतगणना में विसंगतियां बताईं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल, द्रमुक जैसे दल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। किंतु कोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दीं। विपक्ष मीडिया स्टूडियो में चीखता–चिल्लाता रहता है। टेलीविजन बहसों में आरोप लगाता है, किंतु सड़क पर कोई बड़ा आंदोलन नहीं। क्या कारण है? जयप्रकाश जैसा नायक क्यों नहीं उभर रहा? क्या विपक्ष में एकजुटता की कमी है? क्या नेता स्वार्थी हो गए हैं? जयप्रकाश के समय विपक्ष के नेता व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा त्याग कर एकजुट हुए थे। आज प्रत्येक दल अपनी कुर्सी बचाने में लगा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन जैसे नेता अलग–अलग बयानबाजी करते हैं। कोई राष्ट्रीय नेता आगे नहीं आ रहा जो सभी को एक सूत्र में बांधे। वोट चोरी के प्रमाण जुटाने के बजाय सोशल मीडिया पर मीम्स और वीडियो चल रहे हैं। जयप्रकाश ने गांव–गांव जाकर जनता को जगाया था। आज विपक्ष शहरों तक सीमित है। किसान आंदोलन में विपक्ष शामिल नहीं हुआ, नागरिकता विरोध में भी फूट पड़ी। भाजपा मजबूत संगठन के साथ खड़ी है।

जंगल से अचानक निकला तेंदुआ, महिला समेत तीन पर झपट्टा मार किया हमला, गांव में दहशत का माहौल

संवाददाता–महराजगंज। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के वनग्राम अचलगढ़ के दक्षिणी हिस्से में बुधवार की सुबह उस समय अफरा–तफरी मच गई, जब जंगल की ओर गए ग्रामीणों पर अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया। हमले में एक युवती समेत तीन लोग घायल हो गए। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोग घरों से बाहर निकलने से डरने लगे।

घायलों को सीएचसी लक्ष्मीपुर में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार, लक्ष्मीपुर रेंज के वनग्राम अचलगढ़ निवासी ईशा (19 वर्ष) पुत्री मंगरू बुधवार की सुबह करीब छह बजे गांव के पास जंगल की तरफ गई थीं। इसी दौरान झाड़ियों में छिपे तेंदुए ने अचानक उस पर झपट्टा मार दिया। ईशा के चीखने–चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग घबरा गए। बताया जा रहा है कि हमला करने के बाद तेंदुआ झाड़ियों में छिप गया।

उसी समय पास में मौजूद नीरज (16 वर्ष) पुत्र शौकीलाल भी तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया। ग्रामीण कुछ समझ पाते, इससे पहले तेंदुआ तेजी से भागते हुए गांव के ही मुरलीधर (69 वर्ष) पुत्र स्वर्गीय सुमेर पर भी हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। ग्रामीणों के शोर मचाने और लोगों के जुटने के बाद तेंदुआ जंगल की तरफ भाग गया और घने इलाके में जाकर छिप गया। घटना की सूचना कुछ ही देर में पूरे गांव में फैल गई। ग्रामीणों में भय का माहौल व्याप्त हो गया। महिलाएं और बच्चे खास तौर पर सहमे हुए हैं। कई लोगों ने जंगल और खेतों की तरफ जाना बंद कर दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने घायल तीनों लोगों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्ष्मीपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया। डॉक्टरों के अनुसार तीनों घायल तेंदुए के पंजों और दांतों से घायल हुए हैं। उनकी स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

घटना की सूचना पर लक्ष्मीपुर चौकी प्रभारी संजय सिंह तथा वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन दारोगा आलोक मिश्रा ने घायलों और ग्रामीणों से बातचीत कर घटना की जानकारी ली। वन विभाग की टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण भी किया और आसपास के क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है। घटना को गंभीरता से लिया गया है। वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही है तथा तेंदुए की तलाश जारी है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे फिलहाल जंगल की ओर न जाएं और सावधानी बरतें। साथ ही वनकर्मियों की गश्त भी बढ़ा दी गई है ताकि किसी अन्य अप्रिय घटना को रोका जा सकेरू वेदप्रकाश शर्मा, रेंजर लक्ष्मीपुर

पानी भरे गड्ढे में डूबने से दो मासूम भाइयों की मौत

संवाददाता–महराजगंज। सदर कोतवाली क्षेत्र के चेहरी टोला महलगंज में ईंट–भट्ठे के लिए एकत्र मिट्टी के ढेर के पास खेल रहे दो सगे मासूम भाइयों की पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद से ही परिजनों का रो–रोकर बुरा हाल है।मूल रूप से कटहरा टोला बीट नर्सरी निवासी डब्लू साहनी चेहरी टोला महलगंज में किराए के मकान में रहकर ई–रिक्शा चलाते हैं। उनके दो बेटे, राज (5) व आयुष (4) घर के पास ईंट–भट्टे के लिए एकत्रित मिट्टी के ढेर पर खेल रहे थे। खेलते–खेलते दोनों बच्चे अचानक लापता हो गए। काफी खोजबीन के बाद जब बच्चों का पता नहीं चला, तो परिजनों ने डायल 112 को सूचना दी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक निर्भय कुमार ने फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और तलाश शुरू की।छानबीन के दौरान पास ही स्थित एक गहरे गड्ढे में जहां बरसात का पानी भरा हुआ था, बच्चों की तलाश कराई गई। तलाश के दौरान दोनों मासूम गड्ढे की तली में डूबे मिले। आनन–फानन में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को मोर्चरी हाउस में रखवाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
अपील सं0–
धारा 24 उ0प्र0रा0सं0–2006
अदालत– श्रीमान उप जिलाधिकारी बांसी सिद्धार्थनगर

नीलम त्रिपाठी
बनाम
प्र0 ग्राम पं0 मऊ आदि

1. प्रधान ग्राम पंचायत मऊ तप्पा पचहर परगना बांसी पूरव तहसील बांसी जिला–सिद्धार्थनगर 2. रामफल पुत्र विश्राम 3. किशोर पुत्र विश्राम 4. सुखई पुत्र श्रीराम 5. शिवसरन पुत्र पशुपति साकिनान मऊ तप्पा पचहर परगना बांसी पूरव तहसील बांसी जिला–सिद्धार्थनगर

तारीख पेशी 08–05–2026

वाजेह हो कि नीलम त्रिपाठी ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 08 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

कार्यालय ग्राम पंचायत सिकराखुर्द वि.खं. बनकटी, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **सिकराखुर्द** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/ मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/ अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंच्चायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **सिकराखुर्द** के निविदा बाक्स में दिनांक 14–05–2026 तक अपरान्ह 11:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 12:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 07–05–2026 से दिनांक 13–05–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **सिकराखुर्द** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **सिकराखुर्द** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **सिकराखुर्द** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(अमरजीत)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**सिकराखुर्द**

(आशुतोष पटेल)
सचिव
ग्राम पंचायत–**सिकराखुर्द**

कार्यालय ग्राम पंचायत डड़वा लगुनी वि.खं. बनकटी, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **डड़वा लगुनी** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/ मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/ अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंच्चायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **डड़वा लगुनी** के निविदा बाक्स में दिनांक 15–05–2026 तक अपरान्ह 10:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 11:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 07–05–2026 से दिनांक 14–05–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **डड़वा लगुनी** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **डड़वा लगुनी** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **डड़वा लगुनी** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(उदयभान)
प्रधान
ग्राम पंचायत–डड़वा लगुनी

(आशुतोष पटेल)
सचिव
ग्राम पंचायत–डड़वा लगुनी

कार्यालय ग्राम पंचायत इटहर वि.खं. बनकटी, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **इटहर** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंच्चायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यो हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **इटहर** के निविदा बाक्स में दिनांक 14–05–2026 तक अपरान्ह 11:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 07–05–2026 से दिनांक 13–05–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **इटहर** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **इटहर** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **इटहर** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(सुमन देवी)
प्रधान
ग्राम पंचायत–इटहर

(आशुतोष पटेल)
सचिव
ग्राम पंचायत–इटहर

कार्यालय ग्राम पंचायत थरौली वि.खं. बनकटी, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **थरौली** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंच्चायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यो हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **थरौली** के निविदा बाक्स में दिनांक 15–05–2026 तक अपरान्ह 11:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 07–05–2026 से दिनांक 14–05–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **थरौली** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **थरौली** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **थरौली** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(पार्वती)
प्रधान
ग्राम पंचायत–थरौली

(आशुतोष पटेल)
सचिव
ग्राम पंचायत–थरौली

कार्यालय ग्राम पंचायत कैथवलिया वि.खं. बनकटी, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **कैथवलिया** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंच्चायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यो हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **कैथवलिया** के निविदा बाक्स में दिनांक 15–05–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 07–05–2026 से दिनांक 14–05–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **कैथवलिया** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **कैथवलिया** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **कैथवलिया** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(सीमा)
प्रधान
ग्राम पंचायत–कैथवलिया

(आशुतोष पटेल)
सचिव
ग्राम पंचायत–कैथवलिया

कार्यालय ग्राम पंचायत मुरादपुर उर्फ बेलराई वि.खं. बनकटी, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **मुरादपुर उर्फ बेलराई** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंच्चायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यो हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **मुरादपुर उर्फ बेलराई** के निविदा बाक्स में दिनांक 15–05–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 04:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 07–05–2026 से दिनांक 14–05–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **मुरादपुर उर्फ बेलराई** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **मुरादपुर उर्फ बेलराई** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **मुरादपुर उर्फ बेलराई** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(पुष्पा देवी)
प्रधान
ग्राम पंचायत–मुरादपुर उर्फ बेलराई

(आशुतोष पटेल)
सचिव
ग्राम पंचायत–मुरादपुर उर्फ बेलराई

कार्यालय ग्राम पंचायत भिटहा वि.खं. बनकटी, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **भिटहा** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **भिटहा** के निविदा बाक्स में दिनांक 15–05–2026 तक अपरान्ह 11:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 07–05–2026 से दिनांक 13–05–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **भिटहा** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **भिटहा** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **भिटहा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(अर्चना पाल) प्रधान ग्राम पंचायत–**भिटहा**

(राम सहाय) सचिव ग्राम पंचायत–**भिटहा**

हर जरूरतमंद का बनवाएं आयुष्मान कार्ड –सीएम योगी

संवाददाता–गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन, बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे लोगों से उन्होंने आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा और आश्वस्त किया कि सरकार इलाज कराने में भरपूर मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जरूरतमंद, पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें इलाज के लिए परेशान न होना पड़े। बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में, महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 200 लोगों से मिले।

उनके पास जाकर उनकी समस्याएं सुनीं। उनके प्रार्थना पत्र अपने हाथ में लेकर उसका अवलोकन कर समस्या, शिकायत का संज्ञान लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि वे परेशान न हों, सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है। उन्होंने अलग–अलग मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित और हस्तगत किया। साथ ही निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिप्रद होना चाहिए। जनता दर्शन में हर बार की तरह बुधवार को भी कुछ लोग इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–1330/2021
राधेश्याम आदि
बनाम
भगवानदास आदि
श्रीमती करमुन्निश पत्नी हवीबुल्लाह साकिन असनहरा तप्पा छपिया परगना रसूलपुर तहसील भानपुर जिला बस्ती
तारीख पेशी 29–05–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 29 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी विनोद कुमार पुत्र गयादीन निवासी कलवारी मुस्तहकम पोस्ट– कलवारी जनपद बस्ती का निवासी है। मेरी पुत्री का सही नाम सृष्टी (SHRISHTI) है। यही नाम शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों में है। त्रुटिबश आधारकार्ड में मेरी पुत्री का नाम सृष्टि (SRISHTI) हो गया है जो गलत है। उसे सुधारकर सृष्टी (SHRISHTI) कराया जाय।

बेदखली सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी मुकेश पुत्र बद्री ग्राम बनगंवा, पोस्ट– वाल्टरगंज, जिला–बस्ती का स्थायी निवासी हूँ। प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी के संयोग से दो पुत्र विशाल और अंकित और एक पुत्री कु० सुधा ही है अन्य कोई नही है। प्रार्थी का छोटा पुत्र अंकित जिसकी उम्र 22 साल है की आदत गलत संगत में पड़ने के कारण प्रार्थी और प्रार्थी की पत्नी तथा परिवार के अन्य सदस्यो की इज्जत नही करता है और न ही कहना मानता है। गांव जवार के तथा परिवार के लोगो के लाख समझाने के बाद भी कहना मानने को तैयार नही है ऐसी दशा में प्रार्थी के पास अपने परिवार के बच्चो के भविष्य और बिगड़ने से बचाने हेतु प्रार्थी के पास अपने छोटे पुत्र को तथा सम्पत्ति, घर, द्वार से अपने परिवार से बेदखल करने के सिवाय कोई दूसरा उपचार नही है। इसलिए प्रार्थी अपने परिवार को दुःप्रभाव / बुरी संगत से बचाने के लिए दिनांक 06.05.2026 से अपने छोटे पुत्र अंकित को अपने परिवार से एवं जमीन जायदाद से बेदखल कर रहा हूं तथा प्रार्थी का अथवा प्रार्थी के परिवार का अब अंकित से कोई वास्ता सरोकार नही है। प्रकाशन इसलिए करा रहा हूं कि वक्त जरूरत पर काम आवे।

अदालती नोटिस

(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना साधारण प्रारूप)
(आर्डर 5 कायदा 3)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0–56/2024
सहाऊ (मृतक) आदि
बनाम
बहाऊ (मृतक) आदि
1/1/1 राजेन्द्र 1/1/2 कौशल 1/1/3 राज कुमार 1/1/4 अनिल पुत्रगण जयराम 1/2/1 कमलेश पुत्र दयाराम साकिनान मौजा बसौढ़ी तप्पा डीही परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 14–05–2026

चूंकि उपरीनामांकित ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएवं आपके एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्भित करने के लिये 2026 के माह 05 के 14 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुर्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 20 के माह के दिवस को निकाली गयी।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–588/2025
मजहर आलम
बनाम
सलमा आदि
1– सलमा उम्र लगभग 55 बर्ष बेवा अतहर आलम 2. अनवर आलम उम्र लगभग 33 वर्ष पुत्र अब्दुल जब्बार साकिनान ग्राम कम्हरिया तप्पा हल्लौर तहसील डुमरियागंज पोस्ट गौरा बाजार जिला सिद्धार्थनगर पिन कोड 272189 –प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग 3. अजहर आलम उम्र लगभग 43 वर्ष 4. अफसर आलम उम्र लगभग 29 वर्ष पुत्रगण स्व0 अब्दुल जब्बार साकिनान ग्राम कम्हरिया तप्पा हल्लौर तहसील डुमरियागंज पोस्ट गौरा बाजार जिला सिद्धार्थनगर पिन कोड 272189 –प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग
तारीख पेशी 08–05–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 08 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

सड़क हादसे मे युवक की मौत

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। डुमरियागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत भारत भारी स्थित मोतीगंज चौराहा पर रात लगभग 10 बजे एक जबरदस्त सड़क हादसा हो गया। पुलिस चौकी के ठीक सामने हुई इस घटना में बाइक और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

मृतक की पहचान परसोहिया निवासी गणेश पुत्र दिलीप कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, गणेश किसी काम से बाइक से जा रहे थे तभी मोतीगंज चौराहे पर सामने से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक से उनकी बाइक टकरा गई। इस टक्कर के कारण युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही डुमरियागंज थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। डुमरियागंज पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की जानकारी मिलने पर मृतक के परिजनों में शोक व्याप्त हो गया। अब्दुल हमीद, राजेश कुमार, अनिल मिश्रा और राम संवारे ने बताया कि मोतीगंज चौराहा नगर पंचायत भारत भारी का एक महत्वपूर्ण और व्यस्ततम स्थान है। उनके अनुसार, इस चौराहे पर अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कई बार स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग की है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। थाना प्रभारी डुमरियागंज श्रीप्रकाश यादव ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की। उन्होंने पुष्टि की कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और घटना की जांच जारी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा उपायों पर संबंधित विभाग से बातचीत की जाएगी।

अदालती नोटिस

(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना साधारण प्रारूप)
(आर्डर 5 कायदा 3)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0–328/2023
जनार्दन प्रसाद
बनाम
राज कुमारी (मृतक) आदि
1. राज कुमारी (मृतक) पत्नी रामदेव निवासी नरायनपुर तप्पा रामगढ़ परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती
1/1 सुनीता देवी पत्नी राम संवारे निवासी जलालाबाद पोस्ट महुआ डाबर तप्पा अतरोह परगना बस्ती पश्चिम तहसील हर्रैया जिला बस्ती 1/2 निंशा देवी पत्नी विजय प्रकाश निवासी करमडांड पोस्ट हर्रैया तप्पा पुरैना परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती 1/3 आशा देवी पत्नी अजय कुमार निवासी हरिजनपुर पोस्ट बेलभरिया तप्पा पुरैना परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती
तारीख पेशी 16–05–2026

चूंकि उपरीनामांकित ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएवं आपके एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्भित करने के लिये 2026 के माह 05 के 16 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुर्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 20 के माह के दिवस को निकाली गयी।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
अपील सं0–101/2024
अदालत– श्रीमान अपर आयुक्त (प्रशासन) बस्ती मण्डल बस्ती जिला–बस्ती
दिलीप कुमार शुक्ल
बनाम
हरेन्द्र कुमार आदि
बनाम– 1. गायत्री प्रसाद पुत्र स्व0 विन्ध्यवासिनी प्रसाद 2. श्रीमती सत्यभामा पत्नी विन्ध्यवासिनी प्रसाद 3. शैलेश कुमार पुत्र विश्वदेव शुक्ल साकिनान मौजा बायपोखर तप्पा कड़र परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 14–05–2026

वाजेह हो कि देवी ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 14 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैस़ला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 06 माह 05 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

कार्यालय ग्राम पंचायत शोभनपार वि.खं. बनकटी, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **शोभनपार** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **शोभनपार** के निविदा बाक्स में दिनांक 15–05–2026 तक अपरान्ह 11:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 07–05–2026 से दिनांक 14–05–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **शोभनपार** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **शोभनपार** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **शोभनपार** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(सुमन चौधरी) प्रधान ग्राम पंचायत–**शोभनपार**

(राम सहाय) सचिव ग्राम पंचायत–**शोभनपार**

कार्यालय ग्राम पंचायत धौरूखोर वि.खं. बनकटी, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **धौरूखोर** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **धौरूखोर** के निविदा बाक्स में दिनांक 14–05–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 01:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 07–05–2026 से दिनांक 13–05–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **धौरूखोर** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **धौरूखोर** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **धौरूखोर** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(राजेश) प्रधान ग्राम पंचायत–**धौरूखोर**

(राम सहाय) सचिव ग्राम पंचायत–**धौरूखोर**

कार्यालय ग्राम पंचायत सोहिला वि.खं. बनकटी, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **सोहिला** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **सोहिला** के निविदा बाक्स में दिनांक 14–05–2026 तक अपरान्ह 11:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 12:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 07–05–2026 से दिनांक 13–05–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **सोहिला** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **सोहिला** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **सोहिला** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(सर्वेश कुमार) प्रधान ग्राम पंचायत–**सोहिला**

(राम सहाय) सचिव ग्राम पंचायत–**सोहिला**

अदालती नोटिस

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) सिद्धार्थनगर जिला–सिद्धार्थनगर स्थान द्वारा निकाली गयी उद्घोषणा
प्रकीर्ण उ0 वाद संख्या 57/2026
1. तूफानमती पत्नी चन्द्रिका प्रसाद 2. सुमन पुत्री चन्द्रिका प्रसाद 3. चन्द्रशेषर पुत्र चन्द्रिका प्रसाद 4. चन्द्रकिशोर पुत्र चन्द्रिका प्रसाद 5. चन्द्रकान्त पुत्र चन्द्रिका प्रसाद 6. पूनम पुत्री चन्द्रिका प्रसाद 7. नीलम पुत्री चन्द्रिका प्रसाद 8. किरन पुत्री चन्द्रिका प्रसाद निवासीगण ग्राम बैजनथा तप्पा डबरा तहसील शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
–आवेदकगण
बनाम
इस्टेट
तारीख पेशी– 29.05.2026

प्रा0 पत्र अन्तर्गत दफा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम
अपने पति/पत्नी मृतक चन्द्रिका प्रसाद को देय ऋण और प्रतिभूतियों को वसूल करने के लिये प्रमाण पत्र की अभिप्राप्ति के लिये सन 1886 ई0 के अधिनियम 7 के अधीन उत्तराधिकार का आवेदन के लिये।

चूंकि ने प्रमाण पत्र को अभिप्राप्ति के लिये आवेदन दिया है और सन 2026 के 05 के 29 दिवस आवेदन को सुनवाई के लिये नियत हुआ है। अतः यह उदघोषणा निकाली जाती है कि जिस किसी को उक्त आवेदन के सम्बन्ध में आपत्ति हो वह स्वयं या अभिवक्ता द्वारा ..10 बजे पूर्वान्ह न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) सिद्धार्थनगर में नियत दिनांक पर उप संजात होकर अपनी आपत्ति पेश करें। उक्त दिनांक के अवसान पर फिर किसी की आपत्ति न सुनी जायेगी और आवेदन के सम्बन्ध में यथोचित आदेश पारित होगा।

2026 के 05 के 06 दिवस को दिनांकित।

द0 हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय– चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय– आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय– इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल bhartiyabasti@gmail.com
dainikbhartiyabasti@gmail.com